फैक्स/ई–मेल

संख्या– 1481/छः–पु–2–2022–1100(102)/2015टीसी

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2022**

विषयः यूपी–112 की सेवा निर्बाध रूप से संचालित करने हेतु दिनांक 03.01.2023 से 02.06.2023 (05 माह) तक M/S MDSL की सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः उप0प्रको0–92–2022(यूपी–112), दिनांक 23.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यूपी–112 के संचालन हेतु मेसर्स महेन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लि0 (MDSL) के दिनांक 02.01.2023 को समाप्त हो रहे अनुबन्ध को पूर्व में प्रचलित आर0एफ0पी0 एवं अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप दिनांक 03.01.2023 से 02.01.2024 (01 वर्ष) तक के लिये विस्तार किये जाने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव/संस्तुति शासन को संदर्भित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में पूर्व में शासन स्तर से लिये गये निर्णय के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या–576/छः–पु–2–2021–1100(102)/2015टीसी, दिनांक 20.05.2021 द्वारा यूपी–112 के संचालन हेतु मेसर्स महेन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लि0 (MDSL) के अनुबन्ध को पूर्व में प्रचलित आर0एफ0पी0 एवं अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप दिनांक 03.06.2021 से 02.01.2022 (07 माह) तक एवं शासन के पत्र संख्याः 1447/छः–पु–2–2021–1100(102)/2015टीसी, दिनांक 31.12.2021 द्वारा आर0एफ0पी0 एवं अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप दिनांक 03.01.2022 से 02.01.2023 (01 वर्ष) तक के लिये विस्तारित किया गया था। उक्त प्रकरण में यूपी–112 की सेवा निर्बाध रूप से दिनांक 02.01.2023 के उपरान्त जारी रखने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स महेन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लि0 (MDSL) का विस्तार/अनुबन्ध दिनांक 03.01.2023 से 02.06.2023 (05 माह) तक के लिये आर0एफ0पी0 एवं अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप इस शर्त के साथ बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित RFP में Term Extention/Not Extention से तीन माह पूर्व Notice देने का प्राविधान है, अतः अग्रिम 05 माह में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर नियमानुसार नई Agency नामित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– अतएव प्रश्नगत प्रकरण में समस्त निर्धारित औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी–112, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. गृह (पुलिस) अनुभाग–7
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।

22-100.com.N.K.